27/1/25 – प्रार्थना पत्री पेश हुई वकील साहब आवेदक [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थी
[illegible] परवाना [illegible] हेतु तहसीलदार बाड़ी
है [illegible] पत्रावली [illegible] होकर
[illegible] हो। [signature]

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त कुमार घनघोर (आर०ए०एस०)

उनवानी

रामवीर बनाम राज० सरकार

1. रामवीर उम्र 72 वर्ष पुत्र चरण गिरि जाति गुसांई निवासी ताजपुर तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर राज०

प्रार्थी :–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बाड़ी

अप्रार्थी :–

उपस्थित प्रार्थी के वकील – श्री अशोक परमार एड०
उपस्थित अप्रार्थी के वकील – पैरोकार सरकार तहसीलदार बाडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर० एक्ट

प्रकरण सं० :– 6/2024 दिनांक :– 27.01.2025

आदेश

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सायल की आराजी खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0253 हैक्टे0, 1080 रकबा 0.9611 हैक्टे0, 1081 रकबा 2.9340 हैक्टे0 व 1082 रकबा 0.5944 हैक्टे0 बांके ग्राम खूले का पुरा, तहसील बाड़ी में स्थित हैं जिसमें सायल मुताबिक जमाबंदी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त ऊपरवर्णित आराजी को सायल ने खरीद की थी। उक्त आराजी खसरा नम्बरान में सायल रामवीर का नाम लिपिकीय भूल के कारण 'रामगिरि' हो गया है, जो गलत है। सायल का वास्तविक नाम रामवीर है। सायल के सभी मूल दस्तावेजात (आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक) मे सायल का असल नाम रामवीर ही है। सायल कई बार अपने हल्का पटवारी से मिला और जमाबंदी मे नाम को सुधारने के लिये कई बार मौखिक रूप से कहा। लेकिन हल्का पटवारी ने नाम परिवर्तन करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि कोर्ट में दावा करो। जब हमारे पास कोर्ट का आदेश आएगा तब हम तुम्हारी जमाबंदी में नाम शुद्ध करेंगे। सायल का नाम सहवन से जमाबंदी में गलत अंकित हो गया है जिसको शुद्ध कराने का सायल पूर्ण अधिकारी है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया ने प्रार्थना की है कि :–

सायल का नाम आराजी खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0253 हैक्टे0, 1080 रकबा 0.9611 हैक्टे0, 1081 रकबा 2.9340 हैक्टे0 व 1082 रकबा 0.5944 हैक्टे0 बांके ग्राम खूले का पुरा, तहसील बाड़ी खाता संख्या 132 में सायल का नाम सुधरवाया जावे।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी रिपोर्ट

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी, धौलपुर) राज

प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132 के ख0नं0 1072 रकबा 0.0253 हैक्टे0, 1080 रकबा 0.9611 हैक्टे0, 1081 रकबा 2.9340 हैक्टे0 व 1082 रकबा 0.5944 हैक्टे0 बांके ग्राम खूले का पुरा रामगिरि पुत्र चरनगिरि जाति गोसांई (गुसांई) हि0 1/12 सा0 मठ सिकर्रा खातेदार काश्तकार दर्ज है।

तत्पश्चात बहस प्रार्थीया के वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार बाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य जाहिर हुआ कि प्रार्थी द्वारा जो तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है, वह सही है। सहवन की गलती से खाता संख्या 132 के ख0नं0 1072 रकबा 0.0253 हैक्टे0, 1080 रकबा 0.9611 हैक्टे0, 1081 रकबा 2.9340 हैक्टे0 व 1082 रकबा 0.5944 हैक्टे0 बांके ग्राम खूले का पुरा तह0 बाडी में रामवीर के स्थान पर रामगिरि दर्ज हो गया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम रामवीर पुत्र चरनगिरि अंकित है तथा तहसीलदार बाडी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। ऐसी स्थिति प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम को शुद्ध कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 132 के ख0नं0 1072 रकबा 0.0253 हैक्टे0, 1080 रकबा 0.9611 हैक्टे0, 1081 रकबा 2.9340 हैक्टे0 व 1082 रकबा 0.5944 हैक्टे0 बांके ग्राम खूले का पुरा तह0 बाडी में रामगिरि के स्थान पर रामवीर पुत्र चरनगिरि मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान जाते है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि दर्ज किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज